

फर्द अहकाम

रीमा यादव

बनाम

रणविजय सिंह वगै०

अलय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

सं०६५/२०२५

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.04.2025	<p>अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार शर्मा द्वारा वाद बाबत विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्तें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 28.05.2025 को पेश हो।</p>	
28.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी अप० प्रतिवादी सं. 12 अज्ञा० 24, 26 अज्ञा० 39 की ओर से अ.व. लक्ष्मीनारायण अल्काठियां द्वारा U.T. की गयी। आठामी पेशी पर आग्रह रूप से नकारतनामा पेश करें। अपेक्षित रिपोर्ट दिनांक 21.07.25 को पेश हो।</p>	<p>U.T. अपेक्षित 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 26 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, की ओर से Laxmi Narayan अल्काठियां अपेक्षित 26 की ओर से</p>
27.6.25	<p>पत्रावली अधिवक्ता वारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त पत्रावली तलब करमाते एवं किर्ता फिरो जाने पेश करने पर तलब कर भाज की पेशी से ली गयी। वारीया द्वारा प्रार्थना पत्र बस भाज का पेश किया है कि वारीया अपने वाद पत्र की बाबि नहीं चलाता चाहती, स्लतिर वाद पत्र किर्ता करने की अनुमति प्रदान करे। वारीया द्वारा प्रस्तुत किर्ता प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद पत्र खारिज किया गया। पत्रावली नौअल अक्षर होकर नकर से कम होकर शक्ति दफतर हो।</p>	<p>अल्काठियां अपेक्षित 26 की ओर से U.T. अपेक्षित (अपेक्षित) Laxmi Narayan अल्काठियां अपेक्षित 26 की ओर से</p>

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर